न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 77 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/86)
पंजीयन दिनांक– 18.02.2021
निर्णय दिनांक– 25.03.2021

1. श्री नारायण लाल पिता मगनीराम खटीक, निवासी खोडिप, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री रतनलाल कुमावत –अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण
संख्या–1954 / 2016 निर्णय दिनांक 10.07.2017

निर्णय

दिनांक 25.03.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 1954 / 2016 निर्णय दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध दिनांक 03.01.2019 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने

से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.08.2016 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की क्रयशुदा कृषि आराजीयात मौजा खोडिप, तहसील भदेसर में स्थित है जिसके पेमाईश पुर्व के आराजी नम्बर 57/4 रकबा 7 बीघा एवं पेमाईश बाद के आराजी नम्बर क्रमशः 155 व 156 रकबा 0.01 हैक्टेयर व 1.51 हैक्टेयर कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर स्थित है उक्त रकबे पर अपीलांट क्रय दिनांक से ही कब्जा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेंट प्रक्रिया के दौरान अपीलांट के नक्शे को तरमीम में संकडा कर दिया है जिससे अपीलांट की मौके पर करीबन 1 बीघा कृषि भूमि नक्शे में दर्शित नहीं है। जबकि खाता जमांबदी में रेकार्ड पेमाईश पूर्व व पेमाईश बाद दोनो में रकबा बराबर है, तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। परन्तु नक्शे तरमीम में पेमाईश के बाद के नक्शे में 1 बीघा लगभग के कृषि आराजीयात तरमीम से बाहर कर दी है, जिससे अपीलांट की संपूर्ण कृषि आराजीयात नक्शे तरमीम में नही आ रही है। अतः उक्त नक्शे को पेमाईश पुर्व के नक्शे अनुरूप किया जाना न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके निर्णय आदेश में त्रुटि की है। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.07.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित हैः– *''प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी द्वारा राजस्व लोक अदालत की भावना से पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, भदेसर का पर्चा मौका अनुसार दिनांक 03.05.2017 को भूमि नपति से सहमत होकर अब इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः पत्रावली इसी स्तर ड्रॉप की जाती है।''*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल कुमावत उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 19.03.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट की क्रयशुदा कृषि आराजीयात मौजा खोडिप, तहसील भदेसर में स्थित है जिसके पेमाईश पुर्व के आराजी नम्बर 57/4 रकबा 7 बीघा एवं पेमाईश बाद के आराजी नम्बर क्रमशः 155 व 156 रकबा 0.01 हैक्टेयर व 1.51 हैक्टेयर कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर स्थित है उक्त रकबे पर अपीलांट क्रय दिनांक से ही कब्जा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेंट प्रक्रिया के दौरान अपीलांट के नक्शे को तरमीम में संकडा कर दिया है जिससे अपीलांट की मौके पर करीबन 1 बीघा कृषि भूमि नक्शे में दर्शित नहीं है। जबकि खाता जमांबदी में रेकार्ड पेमाईश पूर्व व पेमाईश बाद दोनो में रकबा बराबर है, तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। परन्तु नक्शे तरमीम में पेमाईश के बाद के नक्शे में 1 बीघा लगभग के कृषि आराजीयात तरमीम से बाहर कर दी है, जिससे अपीलांट की संपूर्ण कृषि आराजीयात नक्शे तरमीम में नही आ रही है। अतः उक्त नक्शे को पेमाईश पुर्व के नक्शे अनुरूप किया जाना न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके निर्णय आदेश में त्रुटि की है। उक्त त्रुटि को न्यायाहित में सुधारा जाना आवश्यक है। मौका कब्जा अनुसार एवं रिपोर्ट पटवार हल्का खोडिप व तहसीलदार, भदेसर अनुसार वर्तमान में अपीलांट 7 बीघा

पर कब्जा काबिज है एवं खाते में भी कब्जा काबिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय उचित है, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाए।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपील बैरून मियाद प्रस्तुत हुई है परन्तु अपीलाण्ट के दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन, अखण्डित शपथ–पत्र एवं न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा साबिक सेटलमेंट एवं वर्तमान सेटलमेंट में उसकी आराजी के रकबे के अलावा नक्शे की त्रुटि के निराकरण के लिए इन्द्राज दुरूस्ती का निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान हालांकि आदेशिका पर तहसीलदार को किसी प्रकार की नपती किये जाने के निर्देश नहीं दिये गये हैं परन्तु पत्रावली में दिनांक 03.05.2017 का एक पर्चा मौका, जो कि राजस्व कर्मियों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें तहसीलदार के किसी आदेश का भी वर्णन है जो इस प्रकरण से संबंधित है अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं है। उक्त पर्चे मौके में भी यह स्पष्टता नहीं है कि अपीलाण्ट का साबिक नक्शा एवं वर्तमान नक्शा समान है अथवा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही नक्शा है अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में दिनांक 10.07.2017 को यह लिखते हुए कि लोक अदालत की भावना से अपीलाण्ट के नपती से संबंधित होने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय अपीलाण्ट की न्यायालय से इस्तदुआ से पूर्णतया असंगत है। अपीलाण्ट द्वारा अपने नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती

चाही थी, उस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्पष्ट फाइंडिंग नहीं दी है तथा न ही यह व्यक्त किया है कि साबिक नक्शा एवं वर्तमान नक्शा में कोई विसंगति नहीं है एवं वह क्या आधार है जिससे अपीलाण्ट को राहत नहीं दी जा सकती। अपीलाण्ट द्वारा नपती की मांग नहीं की थी, अतएवं नपती की मांग के आधार पर उसके प्रकरण के ड्रॉप किये जाने कदापि उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में साबिक व हाल नक्शे व जमाबंदी के आधार पर अपीलाण्ट के आवेदन के अनुसार धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक निर्णय उभय पक्षकारों को सुनकर पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.05.2021 को उपस्थित हों।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर